

न्यायालय: लोकेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म0प्र0

क्रमांक. 74

इंदौर दिनांक 20/05/2024

**// रिमाण्ड ड्यूटी आदेश //**

माह जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में जिला मुख्यालय इंदौर एवं समस्त ब्राह्मवर्ती तहसील न्यायालयों में प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यक दायित्व कार्य दोप. 03.00 से शाम 05.00 बजे तक संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार ड्यूटी लगायी जाती है :-

**जिला मुख्यालय इंदौर हेतु -**

क.	पुलिस उपायुक्त (जोन-1) एवं (जोन-3) <u>कालम नं.- 01</u>	क.	पुलिस उपायुक्त (जोन-2) एवं (जोन-4) <u>कालम नं.- 02</u>	दिनांक	दिवस
01.	श्रीमती साक्षी कपूर	01.	श्रीमती निर्मला वास्केल	02.06.2024	रविवार
02.	श्री अमरीश भारद्वाज	02.	सुश्री हर्षिता सिंगार	09.06.2024	रविवार
03.	श्री जय कुमार जैन	03.	श्री हर्षवर्धन रावत	15.06.2024	शनिवार
04.	श्री नीरज ठाकुर	04.	श्रीमती प्रीति प्रसाद ठाकुर	16.06.2024	रविवार
05.	श्री मुकेश गुप्ता	05.	श्रीमती मिनी गुप्ता	17.06.2024	सोमवार
06.	श्री पंकज श्रीवास्तव	06.	श्री मोहित रघुवंशी	23.06.2024	रविवार
07.	श्री राहुल डोंगरे	07.	सुश्री खुशू दांगी	30.06.2024	रविवार

**नोट- 1.** माह में आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर के कॉलम नंबर-01 हेतु सुश्री जुही सिंह/ सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री एवं कॉलम नंबर-02 हेतु श्री देव कुमार/श्रीमती बिंदिया पाठक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी कार्य संपादित किया जावेगा।

**2.** किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान अवकाश लेने की स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा लिखित में रिमाण्ड ड्यूटी समायोजित की जा सकेंगी, परस्पर सहमति से समायोजन का आवेदन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण उसकी स्वीकृति सहित हस्ताक्षरित हो जिसकी अभिस्वीकृति सहित प्रस्तुत करेंगे जिसकी सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पर्याप्त समय पूर्व प्रेषित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटगण समायोजन स्वयं के दायित्व पर करें।

**तह0 डॉ0 अम्बेडकर नगर हेतु- माह जून 2024**

कं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक.	दिवस
01.	श्री हर्ष ठाकुर	02.06.2024	रविवार
02.	श्रीमती तनवी माहेश्वरी	09.06.2024	रविवार
03.	श्री हर्ष ठाकुर	15.06.2024	शनिवार
04.	श्रीमती भावना सिंह	16.06.2024	रविवार
05.	श्री सुनीत अग्रवाल	17.06.2024	सोमवार
06.	सुश्री दीर्घा एरन	23.06.2024	रविवार
07.	श्रीमती मेघा अग्रवाल	30.06.2024	रविवार

**तह0 न्यायालय देपालपुर जिला इंदौर - माह जून 2024**

कं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक.	दिवस
01.	श्री दानिश अली	दिनांक 09.06.24 व 15.06.2024	रविवार, शनिवार
02.	श्रीमती रिजवाना कौसर	दिनांक 02.06.24 व 30.06.24	रविवार, रविवार
03.	सुश्री दिव्या श्रीवास्तव	दिनांक 16.06.24, 17.06.24 व 23.06.24	रविवार, सोमवार, रविवार

**तह0 न्यायालय सांवेर जिला इंदौर - माह जून 2024**

कं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक.	दिवस
01.	डॉ. श्रीमती संगीता बर्वे	02.06.24, 09.06.24 एवं 15.06.24	रविवार, रविवार, शनिवार
02.	सुश्री आकांक्षा भार्गव	16.06.24, 17.06.24 23.06.24 एवं 30.06.24	रविवार, सोमवार, रविवार, रविवार

**तहसील न्यायालय हातोद हेतु :- माह जून 2024**

कं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक.
01.	श्रीमती शिखा अग्रवाल	माह जून 2024 सार्वजनिक अवकाश हेतु ।

**नोट :-** तह0 डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, व सांवेर हेतु माह जून में आकस्मिक अवकाश/ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजि. के किन्ही कारणवश असमर्थता होने पर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के आपसी पारस्परिक सहमति एवं सूचना कर रिमाण्ड ड्यूटी कार्य संपादित किया जावेगा।


2. तह0 डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अपरिहार्य कारणवश अवकाश/मुख्यालय से बाहर/अन्य दशा में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु असमर्थ होने पर उक्त अवकाश दिवस में अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय इंदौर होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य कॉलम नंबर-01 में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा तह. न्यायालय हातोद व सांवेर हेतु कालम नंबर 02 में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा ।

—: तहसील डॉ0 अम्बेडकरनगर हेतु — कॉलम नंबर—02, तहसील देपालपुर हेतु कॉलम नंबर—02, तहसील सांवेर हेतु कॉलम नंबर—01 एवं तहसील हातोद हेतु कॉलम नंबर—01 द्वारा उपरोक्त कार्य संपादित किया जावेगा ।

04. इंदौर जिले मे पुलिस उपायुक्त जोन से संबधित धारा 164 द0प्र0स0 के अधीन कथन आवंटित आरक्षी केन्द्रों से संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जावेंगे। यदि किसी कारणवश उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लिये जाने हेतु असमर्थ हो तो उक्त दशा में कथन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी :-


कं.	कॉलम क्रमांक.	प्रभार क्रमांक.
01.	कॉलम नंबर—01	कॉलम नंबर—02
02.	कॉलम नंबर—02	कॉलम नंबर—01

05. माननीय उच्च न्यायालय/अपर न्यायालय से प्रस्तुत होने वाले जमानत/अन्य आदेश आरक्षी केन्द्र अनुसार संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे तथा अन्य दशा में कॉलम नंबर—01 द्वारा अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा ।

  
(लोकेंद्र सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

#### प्रतिलिपि :-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
02. संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर/समस्त तह. न्यायालय की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित ।
03. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुविभाग की और इंदौर/ब्राहवर्ती तहसील के समस्त पीठासीन अधिकारी/अधिवक्ता संघ/पुलिस जोन क्रमांक.01 लगायत क्रं.04, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/न्यायिक कर्मचारीगण इंदौर/तहसील मुख्यालय इंदौर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित ।
04. सचिव अधिवक्ता संघ जिला इंदौर/तह0 मुख्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. लोक अभियोजन अधिकारी कार्या0 इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

  
(लोकेंद्र सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर,  
(लोकेंद्र सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इन्दौर (म.प्र.)

**पुलिस उपायुक्त जोन से संबधित रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आवंटित  
आरक्षी केन्द्र सूची :-**

पुलिस उपायुक्त (जोन- 1)	पुलिस उपायुक्त (जोन-3)
1. मल्हारगंज 2. सदर बजार 3. एरोडम 4. आजाद नगर 5. तेजाजी नगर 6. गांधी नगर 7. राउ 8. राजेंद्र नगर	16. सेंट्रल कोतवाली 17. एम.जी. रोड 18. तुकोगंज 19. संयोगितागंज 20. पलासिया 21. छोटी ग्वालटोली 22. हीरा नगर 23. बाणगंगा

पुलिस उपायुक्त (जोन- 2)	पुलिस उपायुक्त (जोन - 4)
9. परदेशीपुरा 10. एम.आई.जी. 11. विजय नगर 12. लसूडिया 13. खजराना 14. कनाडिया 15. तिलक नगर	24. जूनी इंदौर 25. रावजी बाजार 26. भंवरकुआँ 27. अन्नपूर्णा 28. चंदन नगर 29. द्वारकापुरी 30. सराफा 31. पंढरीनाथ 32. छत्रीपुरा

**कॉलम नंबर-01 एवं कॉलम-02 हेतु अन्य आवंटित आरक्षी केन्द्र:-**

अन्य आवंटित आरक्षी केन्द्र सूची :- (कॉलम नंबर 01)	अन्य आवंटित आरक्षी केन्द्र सूची :- (कॉलम नंबर 02)
खुडैल, महिला थाना, अजाक, व्यापम, आर.पी.एफ, जी.आर.पी., साईबर सेल, स्पेशल टाईगर फोर्स ।	काईम ब्रांच, सी.बी.आइ, एन.सी.बी. सी.बी.एन, आर्थिक अपराध, डी.आर.आई/जी.एस.टी, एस. टी.एफ, नारकोटिक्स एवं अन्य कोई जो कॉलम नंबर 01 व 02 में उल्लेखित नहीं है।

**नोट :-**

01. आबकारी वृत्तों से संबधित कार्य कॉलम नंबर-02 द्वारा अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा ।
02. बाल न्यायालय प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट इंदौर से संबधित उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक दाण्डिक कार्य प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड/सदस्य द्वारा संपादित किया जावेगा ।
03. जिला इंदौर से संबधित समस्त तहसील न्यायालयों से संबधित आरक्षी केन्द्रों के द्वारा धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत कथन हेतु कार्य तहसील न्यायालय में आवश्यक दाण्डिक कार्य संपादित किये जाने हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा । यदि किसी कारणवश उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लिये जाने हेतु असमर्थ हो तो उक्त दशा में कथन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी :-